

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
रेखाराम पुत्र चैनाराम जाति कुमावत कुम्हार, निवासी भाड़खा, तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा(04)		चैनाराम पुत्र कुमाराम जाति कुमावत कुम्हार, निवासी भाड़खा तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (05)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 88,40,188,209)

मुकदमा नम्बर 11 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.01.2023	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री सुजय कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,40,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 03.03.23 को पेश हो।	191-193 25/1/23
03.03.23	पत्रावली पेश हुई वादी माथि अनु. पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तामिली हेतु इन्तजार होकर आमन्दा दिनांक 03.06.23 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (SDO) शिव
26.5.23	वादी द्वारा पत्रावली कंप कोर्ट निम्बला के रजिस्ट्रार के निवेदन पर पत्रावली कंप कोर्ट निम्बला से पेश हुई। वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित। वादी अधिकमता उपस्थित। वादी संख्या 1 व 2 द्वारा स्वंग के बयान अपत्र पत्र पेश किये, जिसे शामिल पत्रावली जिला गण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वंग का बयान अपत्र पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली जिला गण पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 07.6.23 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (SDO) शिव

रेखाराम

पुस्तकालय
वादी वकील

12/12



सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

ना. अहम. हुसम का. में जारी है

11/5/2025

पत्रावली पेशा, वकुलाल उपा.,
पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सं. 04 व 05 की
लाभिल हेतु Reg-AD नोटिस पेश करत
हेतु दि. 5/5/2025 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

05.05.25

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इस्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दि. संक. 19.5.25 को पेश हो।

19.05.25

पत्रावली पेश हुई। उमपपदा उपा.
पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सं. 04 व 05
की तलवी हेतु दिनांक 20.06.25 को
पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

20.6.25

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के
कारण इस्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दि. संक. 9.07.25 को पेश हो।

09-07-25

पत्रावली पेशा। वाकुलाल अनुपस्थित।
पत्रावली के पेशी हेतु न्यायालय तमप के पत्रावली
व वाकुलाल को रुक-रुककर आवार्जे की जाते के
कारण कोई इपस्थित नहीं। अतः पत्रावली को लेकर गंभीर
नहीं होने तथा अनुपस्थित रहने पर इस्त पत्रावली
इसी स्तेज पर रुकत हाजमी व अरुत पेशी के
खारिज की जाती है।

पत्रावली वापिस रफ्त हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव